तटस्थ उद्धरण 2019: सीजीएचसीः34

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 227 क्रमांक 817/2014

(निर्णय हेतु दिनांक 26.11.2018 को सुरक्षित रखा गया)

(आदेश दिनांक 02.01.2019 को उद्घोषित किया गया 02.01.2019)

जेठमल सोनी, आयु लगभग 75 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय श्री मोहनलाल सोनी, निवास स्थान- नंदई रोड, पुराना कांजी हाउस के सामने, राजनंदगांव-491441 तहसील और जिला राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)।

---- याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. हरिओम सोनी, आयु लगभग 46 वर्ष, आत्मज श्री रानूलाल सोनी, निवासी- आजाद चौक, राजनंदगांव-491441 तहसील और जिला राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)।

2. अनिल सोनी, आयु लगभग 42 वर्ष, आत्मज श्री रानूलाल सोनी, निवासी-बाबू छोटेलाल चौक धमतरी-493773 तहसील और जिलाधमतरी (छत्तीसगढ़)।

3. श्रीमती लीला सोनी, आयु लगभग 60 वर्ष, आत्मजा श्री रानूलाल सोनी और पति श्री मोहनलाल सोनी, निवासी- ब्राह्मण पारा, धमतरी-493773 तहसील और जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

4. श्रीमती हरकी सोनी, आयु लगभग 48 वर्ष, आत्मजा श्री रानूलाल सोनी और पति श्री राधे श्याम सोनी निवासी- बालाजी वार्ड, अरवी, वर्धा-442001, तहसील वर्धा (महाराष्ट्र राज्य)।

5. श्रीमती पद्मा सोनी, आयु लगभग 45 वर्ष, बेवा स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद सोनी निवासी- शाहिद आजाद चौक, धमतरी-493773 तहसील और जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

6. चंद्रेश सोनी, आयु लगभग 25 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद सोनी निवासी-शहीद आजाद चौक, धमतरी-493773 तहसील और जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री वी. जी. तामस्कर, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगणों के लिए : श्री राकेश ठाकुर, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

सी. ए. वी आदेश

1. श्री हरिओम सोनी और पाँच अन्य (यहाँ उत्तरदाता) ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 263 (जिसे इसके बाद '1925 का अधिनियम' कहा गया है) के अंतर्गत याचिकाकर्ता-जेठमल सोनी के पक्ष में प्रोबेट न्यायालय द्वारा दिए गए प्रोबेट को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें उक्त प्रोबेट के बारे में दिनांक 20.12.2013 को पता चला और उसके बाद दिनांक 27.1.2014 को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया गया और याचिकाकर्ता के पक्ष में इस तरह से दिए गए प्रोबेट को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई।

2. वर्तमान याचिकाकर्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति दायर की जिसमें कहा गया कि उत्तरवादीगणों को मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रकरण क्रमांक 136/2013 (हरिओम सोनी बनाम जेठमल सोनी और अन्य) में दिनांक 20.12.2013 को प्रोबेट जारी करने के बारे में पता चला और रद्द करने के लिए आवेदन जानकारी की

तारीख से 90 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 27.7.2014 को दायर किया जाना चाहिए था, और इस तरह, दायर आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।

3. उत्तरवादीगणों ने इसे कानून में असमर्थनीय मानते हुए प्रारंभिक आपत्ति कर इसका विरोध किया और कथन किया कि यह खारिज किए जाने योग्य है।

4. विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि प्रोबेट को निरस्त करने की परिसीमा परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 (जिसे इसके बाद '1963 का अधिनियम' कहा जाएगा) द्वारा शासित होता है और स्वीकृत रूप से जानकारी की तारीख 20.12.2013 है और इसलिए, इस तरह से दायर किया गया आवेदन परिसीमा की अवधि के भीतर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, आपत्तिकर्ता श्री जेठमल सोनी ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करने में पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन निराशाजनक रूप से परिसीमा से वर्जित है और इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने **स्वर्गीय सुधेंदु कुमार बसु और अन्य बनाम अमर कृष्ण बसु**[1] के मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया हैं।

7. इसके विपरीत, श्री राकेश ठाकुर, उत्तरवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और ऊपर दिए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का अध्ययन किया।

---

1 AIR 2016 PATNA 15

9. विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक आपत्ति का निराकरण करते हुए स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि चूंकि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत प्रोबेट को निरस्त करने के लिए 1925 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आवेदन दायर करने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है, इसलिए 1963 के अधिनियम का अवशिष्ट अनुच्छेद 137 आकर्षित करेगा और लागू होगा और क्योंकि यह आपत्ति दिनांक 20.12.2013 को प्रोबेट की जानकारी प्राप्त करने के बाद उस अवधि के भीतर दायर किया गया था और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

10. स्वीकृत रूप से, 1925 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने हेतु परिसीमा अवधि अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए 1963 के अधिनियम का अवशिष्ट अनुच्छेद 137 लागू होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 137 में निहित प्रावधान निम्नलिखित अनुसार हैः-

वाद का वर्णन	**परिसीमा काल**	**वह समय, जब से काल चलना आरम्भ होता है**
कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस खण्ड में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है।	तीन वर्ष	जब आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होता है।

12. उच्चतम न्यायालय ने **केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेंद्रम बनाम टी. पी. कुन्हालियममा**[2] के मामले में अपने पूर्व के निर्णय, अर्थात **नगर पालिका परिषद, अथानी बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, हुबली**[3] को निरस्त करते हुए

2 AIR 1977 SC 282

3 AIR 1969 SC 1335

कहा कि 1963 के अधिनियम का अनुच्छेद 137 किसी भी अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में दायर किसी भी याचिका या आवेदन पर लागू होगा। यह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा या उसके अंतर्गत विचारार्थ आवेदनों तक ही सीमित नहीं है और 1963 के अधिनियम का अनुच्छेद 137 क्षतिपूर्ति में वृद्धि का दावा करने वाली टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत दायर याचिका पर लागू होगा। यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः-

"20. टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधान जिसके धारा 10 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते हैं पर विचार करते हैं, को इंगित करते हुए जिला न्यायाधीश एक न्यायालय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करते हैं। जहां विधियों के अंतर्गत, मामलों को अभिलेख न्यायालय द्वारा बिना किसी और प्रावधान के निर्धारण के लिए भेजा जाता है, वहां आवश्यक निहितार्थ यह है कि न्यायालय मामलों को न्यायालय के रूप में निर्धारित करेगा। **(देखें:नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम पोस्टमास्टर-जनरल, 1913 ए.सी. 546)**। वर्तमान मामले में संविधि जिला न्यायाधीश को जिला न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में संदर्भित करता है। कई विधियों में इस विशेष शीर्षक के अंतर्गत जिला न्यायाधीश को संदर्भित किया जाता है जबकि आशय जिला न्यायाधीश के न्यायालय को संदर्भित करना होता है। धारा 16 में टेलीग्राफ अधिनियम में आंतरिक साक्ष्य है कि जिला न्यायाधीश का उल्लेख वहां जिला न्यायाधीश के न्यायालय के रूप में किया गया है। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16 (4) यह प्रावधान करता है कि यदि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी राशि जिसे तार प्राधिकरण पर्याप्त समझता का भुगतान की आवश्यकता है जिला न्यायाधीश के न्यायालय में करेगा। फिर से, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 34 में न्यायालय-शुल्क के भुगतान और समन जारी करने का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संदर्भ दिया गया है, दोनों से पता चलता है कि इन विवादों के निपटारे के लिए दीवानी क्षेत्राधिकार के न्यायालय की सामान्य साधन उपलब्ध कराई जा रही है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (15) में कहा गया है कि केंद्रीय विधानमंडल के किसी भी अधिनियम में जिला न्यायाधीश का अर्थ है अपनी मूल दीवानी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अलावा मूल अधिकारिता वाले प्रमुख दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, जब तक कि इस संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो। टेलीग्राफ अधिनियम के संदर्भ में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिला न्यायाधीश के संदर्भ का उद्देश्य जिला न्यायालय के संदर्भ के रूप में नहीं है जो उस पर लागू परिभाषा द्वारा निहित अर्थ प्रतीत होता है। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत आवेदनों पर कार्यवाही करते समय टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायाधीश एक व्यवहार न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. 1963 के परिसीमा अधिनियम की धारा 2(क) और 2 (ख) में निहित "आवेदक" और "आवेदन" शब्दों की बदली हुई परिभाषा विशेष विधियों के अंतर्गत मूल या अन्यथा याचिकाओं को शामिल करने के लिए परिसीमा अधिनियम के उद्देश्य को इंगित करती है। 1908 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 181 को सामान्य न्याय के सिद्धांत पर जो व्याख्या दी गई थी, वह 1963 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के संबंध में लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 137 तीसरे खंड के भाग I के सभी अन्य अनुच्छेदों से अलग है। नित्यानंद जोशी के मामले (ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 200) (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने अथानी नगर परिषद मामले (ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1335) (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर संदेह व्यक्त किया है, जहां इस न्यायालय ने अनुच्छेद 137 को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदनों के लिए संदर्भित माना है।

अनुच्छेद 137 में "आवेदन" शब्द के अंतर्गत याचिकाएं शामिल हैं। ये याचिकाएं और आवेदन वर्तमान मामले की तरह किसी भी विशेष अधिनियम के अंतर्गत हो सकते हैं।

22. हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह यह है कि 1963 के परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 किसी भी अधिनियम के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में दायर किसी भी याचिका या आवेदन पर लागू होगा। इस संबंध में हम अथानी **म्यूनिसिपल काउंसिल मामले (ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1335) (पूर्वोक्त)** में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग राय रखते हैं और मानते हैं कि 1963 के सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा या उसके तहत परिकल्पित आवेदनों तक सीमित नहीं है। वर्तमान मामले में याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष न्यायालय के रूप में थी। यह याचिका टेलीग्राफ अधिनियम द्वारा न्यायिक निर्णय के लिए विचार किया गया था। यह याचिका 1963 के परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के दायरे में आने वाला एक आवेदन है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, **टी.पी. कुन्हालिउम्मा (पूर्वोक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि 1963 के अधिनियम का अनुच्छेद 137 किसी भी अधिनियम के तहत दायर किसी भी याचिका या आवेदन पर लागू होता है और इसका आवेदन व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के तहत दायर आवेदन तक ही सीमित नहीं है।

14. जहाँ तक प्रोबेट को निरस्त करने के लिए 1925 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का संबंध है, वह 1963 के अधिनियम के किसी विशिष्ट अनुच्छेद द्वारा शासित नहीं है क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत प्रोबेट के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए

1963 के अधिनियम का अवशिष्ट अनुच्छेद 137 भी 1925 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत प्रोबेट को निरस्त करने के लिए लागू होगा।

15. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह अविवादित है कि विद्वान जिला न्यायाधीश प्रश्नगत आवेदन पर विचार करते समय दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे थे और इसलिए, 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 137 के प्रावधान स्पष्ट रूप से स्थिति को नियंत्रित करते हैं। उत्तरवादी उस तारीख से जब उन्हें प्रोबेट को अलग रखने के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हुआ से तीन साल के भीतर निरस्त करने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के स्वयं केअनुसार, उत्तरवादीगणों को दिनांक 20.12.2013 को याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रोबेट जारी करने के बारे में तब पता चला था जब व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत व्यवहार वाद क्रमांक 36-अ/2013 (हरिओम सोनी बनाम जेठमल सोनी और अन्य) में एक आवेदन दायर किया गया था। इस प्रकार उत्तरवादीगणों को केवल दिनांक 20.12.2013 को उपार्जित आवेदन करना सही है और उन्होंने तीन साल की अवधि के भीतर दिनांक 27.1.2014 को प्रोबेट को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया है जब उन्हें अपास्त करने के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करने में विद्वान जिला न्यायाधीश पूरी तरह से उचित है, जिसमें मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने वाली कोई विकृति नहीं मिलती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. तदनुसार, रिट याचिका खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है, दोनों पक्षकार को अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। इस आदेश की एक प्रति मूल आवेदन में तेजी लाने के लिए फ़ैक्स/ई-मेल द्वारा विचारण न्यायालय को भेजी जाए क्योंकि यह दिनांक 27.7.2014 से लंबित है।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur